

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉंची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉंची, दिनांक : 13.04.2012

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-


क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	5182.200


कुल आवंटित राशि - रुपये एक्यावन करोड़ बेरासी लाख बीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 8890.52 लाख (अठासी करोड़ नब्बे लाख बावन हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.


(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव



7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 03

रॉंची, दिनांक :- 13.04.2012

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरंडा/देवघर/दुमका/गुमला/साहेबगंज/गोड्डा/हजारीबाग/जमशेदपुर/चाईबासा/जामताड़ा/खूंटी/सिमडेगा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 03

रॉंची, दिनांक :- 13.04.2012

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉंची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.

(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना
मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट I

पत्रांक 03 दिनांक 13.04.12 का अनुलग्नक

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते						विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय		कार्यालय व्यय	किसाया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियाँ इंधन एवं	विधि प्रभार			
1	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	→	49N270103001070101	49N270103001070110	49N270103001070112	49N270103001070213	49N270103001070315	49N270103001070316	49N270103001070323	49N270103001070333	49N270103001070334	49N270103001070337	49N270103001070442	49N270103001070760	कुल योग	अभियुक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	मुख्य अभि०, अग्रिम योजना, रॉंची	15.00	9.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	24.75			
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, देवघर	32.00	21.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	53.75			
3	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, रॉंची	31.00	18.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	49.75			
4	मुख्य अभि० यांत्रिक, रॉंची	9.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	15.75			
5	अग्रिम योजना अंचल दुमका	5.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	8.50			
6	अग्रिम योजना अंचल रॉंची	7.00	4.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	11.50			
7	जलपथ अंचल, गुमला	49.00	29.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	78.50			
8	जलपथ अंचल, चाईबासा	57.00	34.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	91.50			
9	जलपथ अंचल, दुमका	47.00	28.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	75.50			
10	जलपथ अंचल, रॉंची	60.00	35.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	95.50			
11	जलपथ अंचल, हजारीबाग	45.00	27.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	72.50			
12	रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, रॉंची	52.00	31.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	83.50			
13	रूपांकण अंचल, देवघर	40.00	24.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	64.50			
14	सिंचाई अंचल, जसीडीह	50.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	80.50			
15	सिंचाई अंचल, जामताड़ा	31.00	19.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	50.50			
16	सिंचाई अंचल, मधुपुर	33.00	20.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	53.50			
17	सिंचाई अंचल, साहेबगंज	26.00	15.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	41.50			

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

पृष्ठ सं 03 दिनांक 13.04.2012

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते										विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष		वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां		इंधन एवं										
															विपत्र कोड	→		49N270103001070101	49N270103001070110	49N270103001070112	49N270103001070213	49N270103001070315					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
18	सिंचाई यांत्रिक अंचल ,रौंजी	10.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	15.50											
19	अग्रिम योजना प्र0 दुसका	6.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10											
20	अग्रिम योजना प्र0, रौंजी	71.00	43.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.10											
21	अग्रिम योजना प्र0 साहेबगंज	11.00	7.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10											
22	आयोजन गुण नियंत्रण एवं मो0 प्रमंडल, देवघर	92.00	55.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.10											
23	गंगा पथ नहर प्रमंडल , साहेबगंज	95.00	57.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.10											
24	गुण नियंत्रण प्रमंडल, रौंजी	88.00	53.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.10											
25	जलपथ प्रमंडल, खुंटी	112.00	67.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.10											
26	जलपथ प्रमंडल, गुमला	71.00	43.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.10											
27	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चकधरपुर	50.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10											
28	जलपथ प्रमंडल सं.-2, चकधरपुर शिविर - चाईबासा	55.00	33.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.10											
29	जलपथ प्रमंडल सं.-1,चैनपुर शिविर गुमला	61.00	36.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.10											
30	जलपथ प्रमंडल सं.-2,चैनपुर गुमला	53.00	32.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.10											
31	जलपथ प्रमंडल सं.-1, सिमडेगा	80.00	48.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10											
32	पुनर्वास पदाधिकारी, देवघर	31.00	18.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.10											
33	पुनर्वास पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, रौंजी	32.00	19.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.10											

1104

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

1104

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

1104

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

1104

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते							विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का	एलटीसी	कार्यालय व्यय	किराया,दर, कर		आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	इंधन एवं						
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	→	49N270103001070101	49N270103001070110	49N270103001070112	49N270103001070213	49N270103001070315	49N270103001070316	49N270103001070323	49N270103001070333	49N270103001070334	49N270103001070337	49N270103001070442	49N270103001070760	कुल योग	अभियुक्ति			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
34	पुनासी बौध प्रमंडल, पुनासी शिविर-देवघर	67.00	40.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.10				
35	पुनासी स्पीलवे प्रमंडल, पुनासी देवघर	89.00	53.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.10				
36	रूपांकण प्रमंडल सं.-2, देवघर	35.00	21.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.10				
37	रूपांकण प्रमंडल सं.-4, देवघर	49.00	29.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10				
38	रूपांकण प्रमंडल सं.-2, रौंघी	142.00	85.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.10				
39	लघु वितरणी प्रमंडल, कुलडंगाल	49.00	29.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10				
40	विशेष भू-अर्जन पदा0, चाईबासा	52.00	31.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.10				
41	विशेष भू-अर्जन पदा0 तेनुघाट परियोजना , हजारीबाग	41.00	25.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.10				
42	विशेष भू-अर्जन पदा0, देवघर	49.00	29.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10				
43	विशेष भू-अर्जन पदा0 मध्यम सिंचाई परियोजना, दुमका	50.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10				
44	विशेष भू-अर्जन पदा0, रौंघी	87.00	52.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.10				
45	सचिव(प्रा0) मुख्य अभि0,ईचा गालूडीह, आदित्यपुर	2.50	1.50	4.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10				
46	सिंचाई प्रमंडल, कुंडहित	65.00	39.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10				
47	सिंचाई प्रमंडल गोड्डा, शिविर-महगामा	63.00	37.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.10				

81.04

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

81.04

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि0)

81.04

(बी० सी० निगम)
विशेष सचिव

81.04

(एस0 के0 शतपथी)
प्रधान सचिव

4 तारीख 03 दिनांक 13.04.2012

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2012-2013	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते					विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का	एल0टी0सी0		कार्यालय व्यय	किराया,दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं			कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	→	49N270103001070101	49N270103001070110	49N270103001070112	49N270103001070213	49N270103001070315	49N270103001070316	49N270103001070323	49N270103001070333	49N270103001070334	49N270103001070337	49N270103001070442				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
48	सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह	91.00	54.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.10		
49	सिंचाई प्रमंडल, जामताड़ा	51.00	31.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.10		
50	सिंचाई प्रमंडल, दुमका	82.00	49.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.10		
51	सिंचाई प्रमंडल, देवघर	120.00	72.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.10		
52	सिंचाई प्रमंडल, नाला	40.00	24.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.10		
53	सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़	34.00	20.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.10		
54	सिंचाई प्रमंडल, बड़हरवा	59.00	36.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10		
55	सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया	56.00	33.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.10		
56	सिंचाई प्रमंडल, सं0-1, बरहेट	41.00	25.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.10		
57	सिंचाई प्रमंडल, सं0-2, जामताड़ा	61.00	36.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.10		
58	सिंचाई प्रमंडल सं.-2, सिकटिया	65.00	39.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10		
59	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर	69.00	41.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.10		
60	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, रॉंची	117.00	71.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.10		
	आवंटन का योग	3233.50	1934.50	5168.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00	5182.20		

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विधि-14/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.08.2010 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिर से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल आवंटित राशि- रुपये एक्यावन करोड़ बेरासी लाख बीस हजार मात्र

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(सुरेश कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि०)

Li

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव